

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2020/पार्ट-III/ 10956

दिनांक: 14/12/2020

मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार।

विषय:—आदर्श आचरण संहिता वापस लेने के संबंध में।

संदर्भ:— आयोग का पत्रांक 10943 दिनांक 14.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नगरीय निकाय चुनावों की आचार संहिता को वापस लेने के लिए संदर्भित पत्र जारी किया गया। उक्त पत्र में नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना कार्य दिनांक 13.11.2020 सहवन से अंकित हो गई थी।

अतः उक्त आदेश में मतगणना कार्य दिनांक 13.11.2020 के स्थान पर दिनांक 13.12.2020 पढ़ा जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा।

आज्ञा से,

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2020/पार्ट-III/ 10957-64

दिनांक: 14/12/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
7. शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
8. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (नगरपालिका), अलवर, बारां, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, श्रीगंगानगर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, एवं सिरोही।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव